ACM आमेर मु. जयपुर

फर्द अहकाम

रामनारायण बनाम मुकन्दाराम

नाम न्यायालय SDO

केस संख्या 88/24

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	1/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। वास्ते आदेश दिनांक 25/7/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	25/7/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। 30 दिन का समय होने पर पुनः बहस वादी सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 5/8/25 को पेश हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	5/8/25	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उप.। दावा वादी डिक्री किया जाता है विवादित आराजी में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विस्तृत निर्णय एवं डिक्री पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:47 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

नियमित वाद संख्या – 88/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक –17.10.2024

रामनारायण पुत्र श्री चिमनाराम जाति यादव आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1 मुकन्दाराम पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम
2 जयनारायण पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम
3 हरिकिशन पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम
4 सांवरमल पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम
5 मूली देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कानाराम समस्त जातियान यादव निवासीयान ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर।
6 सुजा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री गोपाल
7 प्रभू देवी पत्नी स्वर्गीय श्री हनुमान
8 विकास पुत्र स्वर्गीय श्री हनुमान
9 शिवाली पुत्री स्वर्गीय श्री हनुमान
10 उप पंजीयक रामपुरा डाबडी, तहसील जालसू जिला जयपुर।
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर

– प्रतिवादीगण–

<u>वाद बाबत घोषणा,इंद्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 88,89 एवं188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थिति :–

(1) श्री गोगराज चौधरी, सुरेन्द्र चौधरी – अधिवक्ता वादी की ओर से

दिनांक 05.08.2025

निर्णय

हस्तगत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 [illegible] अंकित किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की पैतृक संयुक्त [illegible] पा[illegible]र की कब्जे काश्त की भूमि गत खसरा नम्बर 316 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा व [illegible] नम्बर 376 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा कुल जिनके हाल खसरा [illegible].3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 0. 3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 4.2400 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.2400 हैक्टेयर भूमि ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

जिला जयपुर में स्थित है। उक्त भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 09 का 1/3 हिस्सा है तथा उसी हिस्से अनुसार काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वाद पत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित भूमि वादी के पिता चिमना पुत्र खांगा के नाम से 1/3 हिस्से में तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वज दुल्ला के नाम से 1/3 हिस्से में दर्ज थी। वादी के पिता चिमना का स्वर्गवास हो गया जिनका वादी कानूनी जायज वारीस व उत्तराधिकारी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वज दुल्ला पुत्र खांगा एवं काना, गोपाल पुत्र दुल्ला का स्वर्गवास हो गया है जिसके प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 कानूनी जायज वारिस व उत्तराधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 09 की नियत में कुछ समय से बेईमानी व फितुर आया हुआ है तथा वादी से द्वेषता रखते है जिससे आपस में मिली भगत व नाजायज सांठ कर रखी है तथा वादी के हिस्से की भूमि को हडपने एवं वादी को उसके हिस्से की भूमि से वंचित करने की नियत से विक्रय हस्तान्तरित आदि करने व वादी को जबरन बेदखल करने व कब्जा करने पर आमादा हो रहे है जिसका कि प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 को किसी प्रकार का कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 ने वादी की अन्य भूमि पर जबरन कब्जा करने की प्रयास किया तो वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 व 11 के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसका प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने फर्जी दस्तावेजात तैयार कर जवाब दावा प्रस्तुत कर मिथ्या अभिवचन किये जिस पर वादी ने वाद पत्र की मद नम्बर–2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकोर्ड की नकले दिनांक 06/09/2024 एवं नामान्तकरण की नकल दिनांक 17/09/2024 को प्राप्त की तो वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि तो वादी को सर्वप्रथम जानकारी हुई कि वादी के पिता चिमना एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 09 के पूर्वज दुला का स्वर्गवास होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के पूर्वज काना व गोपाल पुत्रान दुल्ला ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिली भगत व नाजायज सांठ गांठ कर आपराधिक षडयन्त्र रचकर वादी के पिता चिमना व अपने पिता दुला का वारिस बतलाकर नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 10/10/1977 को अकेले अपने नाम से दर्ज करवा लिया तथा काना व गोपाल के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में अपने नाम अंकित करवा लिया, जिसका कि प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 व उनके पूर्वजों को कोई कानूनी अधिक[illegible] नहीं था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के पूर्वज काना व [illegible] थे बल्कि दुल्ला के पुत्र थे तथा चिमना का वादी एक मात्र [illegible] अन्य भूमि की विरासत का नामान्तकरण भी वादी के नाम से दर्ज हुआ है [illegible] दुला की विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के पूर्वज काना व गोपाल के नाम दर्ज हुआ है, जिससे वाद पत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित भूमि में भी चिमना के 1/3 हिस्से की भूमि का विरासत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज होना चाहिए जिससे उक्त गलत इन्द्राज वादी के हक व अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य है जिसका कानून में कोई महत्व नहीं है एवं जिसका कोई लाभ प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 को प्राप्त नहीं होता है तथा उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के हक व अधिकार कानूनन समाप्त नहीं किये जा सकते। वादी गरीब, असहाय अकेला व वृद्ध व्यक्ति व न्याय में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है जबकि प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 धनबल व भुजबल में काफी शक्तिशाली है तथा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 प्रशासनिक अधिकारी है जिनका मुकाबला वादी बिना न्यायालय की सहायता के करने में असमर्थ है जिससे वादी के पास माननीय न्यायालय की शरण में आने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है जिससे वादी वाद पत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित भूमि में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराकर उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में उसी अनुसार दुरूस्ती करवाकर अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित करवाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वाद पत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित वादी के कब्जे व हिस्से की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति संस्था आदि को विक्रय, हस्तानान्तरण, रहन, बय, बख्शीश आदि नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि से वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे करावे तथा वादी को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा या रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे तथा उक्त भूमि को कृषि से अकृषि में परिवर्तित नहीं करे करावे तथा प्रतिवादी संख्या 10 उक्त भूमि के स्वामित्व हस्तानान्तरण का कोई दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं करे करावे तथा प्रतिवादी संख्या 11 उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन दुरूस्ती आदि नहीं करे तथा उक्त भूमि के मौके व राजस्व रिकोर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे। दायरी दावे से पूर्व प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को धारा 80 सी० पी० सी० का सूचना पत्र दिया जाना आवश्यक है लेकिन प्रतिवादी संख्या 11 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 10 व 11 के विरूद्ध कोई प्रभावी अनुतोष नहीं चाहा गया है तथा मुकदमा आवश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना सूचना पत्र दिये ही उक्त वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है यदि प्रतिवादी संख्या 10 व 11 को सूचना पत्र दिया जाता है तो वादी का वाद प्रस्तुत करने का मकसद ही फौत हो जायेगा जिससे वादी को उक्त सूचना पत्र दिये जाने की छूट दिया जाना न्याय हित में आवश्यक है। ... मूल दिनांक 06/09/2024 व दिनांक 17/09/2024 को उक्त भूमि ... रिकोर्ड की नकले प्राप्त करने पर उत्पन्न होकर लगातार उत्पन्न होने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

पत्रावली में प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के कई अवसर देने के उपरांत भी बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर दिनांक 13.02.2025 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

सहायक कलक्टर
आमेर मु० जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:47 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने एवं जवाब वादी प्रस्तुत नहीं होने के कारण पत्रावली में तनकीयात कायम नहीं की गई। तदुपरान्त साक्ष्य वादी हेतु वादी पक्ष द्वारा निम्न लिखित साक्ष्य को प्रस्तुत कर परीक्षित करवाये।

1. PW1 रामनारायण पुत्र श्री चिमनाराम जाति यादव निवासी ग्राम रायथल, तहसील जालसू, जिला जयपुर जयपुर राजस्थान।
2. PW2 हनुमान यादव पुत्र श्री मंगलाराम जाति यादव निवासी मंगला बाबा घल्डवाल की ढाणी, ग्राम लोंहरवाडा खेरी मिल्क तहसील जोबनेर, जिला जयपुर राजस्थान।
3. PW3 प्रभुदयाल यादव पुत्र सोणाराम यादव, जाति यादव निवासी ग्राम खन्नीपुरा, तहसील आमेर, जिला जयपुर राजस्थान।

दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 जमाबंदी वर्ष 2017–20, जमाबंदी प्रतिलिपि वर्ष 2021–24 प्रदर्श–2, प्रदर्श–3 जमाबंदी प्रतिलिपि 2025–28, प्रदर्श–4 जमाबंदी 2029–32, प्रदर्श–5 प्रमाणित प्रतिलिपि शामिल है 2029–3 2025–28, प्रदर्श–6 प्रमाणित प्रति जमा वर्ष सार्वजनिक 2029–32, प्रदर्श–7 मिलान क्षेत्र, प्रदर्श–8 प्रमाणित प्रति क्रमांक 67, प्रदर्श–10 प्रमाणित प्रति नामांकन क्रमांक 118, प्रदर्श 11, प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2073–76, प्रदर्श–12 प्रमाणित प्रति वाद पत्र उनवानी रामनारायण बनाम मुकन्दाराम वगैराह वाद संख्या 06/2024, प्रदर्श–13 प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 05/2024 उनवानी रामनारायण बनाम मुकन्दाराम वगैराह, प्रदर्श–14 प्रमाणित प्रति जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उनवानी रामनारायण बनाम मुकन्दाराम वगैराह प्रार्थना पत्र संख्या 05/2024, प्रदर्श–15 नामान्तकरण संख्या 159 एवं प्रदर्श–16 जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 पेश है। वादी ने प्रदर्शित करवाया।

प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई। बहस अन्तिम सुनी गयी, दौराने बहस अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र शपथ पत्र व दस्तावेजात में वर्णित अभिवचनों व साक्ष्य को दोहराते हुए कथन किया कि वादी का वाद पत्र के मद नम्बर –2 में वर्णित भूमि में 1/3 हिस्सा है जिस पर वादी काबिज होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, लेकिन वादी के पिता चिमना एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वज दुला का स्वर्गवास होने के पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वज काना व गोपाल पुत्रान दुल्ला ने राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों से मिली भगत व नाजायज सांठ गांठ कर वादी के पिता चिमना व अपने पिता दुला का वारिस' बतलाकर नामान्तकरण संख्या 123 दिनांक 10/10/[illegible] [illegible] अकेले अपने नाम से दर्ज करवा लिया तथा काना व गोपाल के स्वर्गवास के पश्चात [illegible] भूमि के राजस्व रिकोर्ड में अपना नाम अंकित करवा लिया जिसका कि प्रतिवादी सं[illegible] 01 ता 09 व उनके पूर्वजों को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के पूर्वज काना व गोपाल चिमना के पुत्र नहीं थे बल्कि दुल्ला के पुत्र थे तथा चिमना का वादी एक मात्र

कलक्टर
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:47 IST
Reason: SelfAttested

वारीस है तथा चिमना की अन्य भूमि की विरासत का नामान्तकरण भी वादी के नाम से दर्ज हुआ है एवं दुला की विरासत का नमान्तकरण प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 के पूर्वज काना व गोपाल के नाम दर्ज हुआ है, जिससे वाद पत्र के मद नम्बर –2 में वर्णित भूमि में भी चिमना के 1/3 हिस्से की भूमि का विरासत का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज होना चाहिए जिससे उक्त गलत इन्द्राज वादी के हक व अधिकारों के प्रति प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशून्य है जिसका कानून में कोई महत्व नहीं है एवं जिसका कोई लाभ प्रतिवादी संख्या 01 ता 09 को प्राप्त नहीं होता है तथा उक्त गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के हक व अधिकार कानूनन समाप्त नहीं किये जा सकते। जिससे वादी को वाद पत्र के मद नम्बर – 2 में वर्णित भूमि में से 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड में उसी अनुसार दुरूस्ती की जाकर वादी का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे

बहस वादी पर मनन किया व पत्रावली में प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्य एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में गवाह पी0डब्ल्यू – 1, पी०डब्ल्यूं–2 एवं पी0डब्ल्यू 3 एवं दस्तावेज प्रदर्श 1 से 16 प्रस्तुत किये है जिसमें प्रदर्श–1 से 10 तक प्रमाणित प्रति जमाबन्दी सम्वत् 2017 से 2032 एवं मिलान क्षेत्रफल व नामान्तकरण संख्या 123 एवं नामान्तकरण संख्या 67 व नामान्तकरण संख्या 118 से यह साबित है कि वाद पत्र के मद नम्बर –2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकोर्ड में 1/3 हिस्से में वादी के पिता चिमना का नाम अंकित है तथा अन्य भूमि में भी चिमना एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज दुल्ला का नाम अंकित है एवं काना व गोपाल के पिता का नाम दुल्ला था एवं दुल्ला की विरासत का नामान्तकरण भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वज काना व गोपाल के नाम से हुआ है । लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वज काना व गोपाल ने चिमना व अपने पिता का वारिस बतलाकर प्रदर्श 8 नामान्तकरण संख्या 123 अपने नाम गलत दर्ज करवा है, जबकि काना व गोपाल चिमना के वारिस नहीं है बल्कि काना व गोपाल के दुल्ला के वारिस है एवं चिमना का पुत्र तथा चिमना का वादी एक मात्र वारिस है तथा चिमना की अन्य भूमि की विरासत का प्रदर्श – 9 नामान्तकरण संख्या 67 वादी के नाम से दर्ज हुआ है तथा प्रदर्श – 10 नामान्तकरण संख्या 118 दुल्ला की विरासत का प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वज काना व गोपाल के नाम से दर्ज हुआ है। प्रदर्श–[illegible] नामांतकरण संख्या 159 वादी के पिता चिमना एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज दूला की विरासत का है जिसमें भी चिमना का वारिस वादी एवं दूला के वारिस प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 के पूर्वज काना व गोपाल का दर्ज है।

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:47 IST
Reason: SelfAttested

लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पूर्वज काना व गोपाल पुत्रान दुल्ला ने चिमना की विरासत का गलत रूप से वाद पत्र के मद नम्बर–2 में वर्णित भूमि का नामान्तकरण किसी

सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना दर्ज हुआ [illegible] गंगा व गोपाल की मृत्यु के पश्चात
उनकी विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 ने अपने नाम से उक्त भूमि के
राजस्व रिकोर्ड में दर्ज करवा लिया जोकि शून्य है। प्रदर्श 11 व 16 में प्रतिवादी संख्या 1
ता 9 का नाम गलत रूप से दर्ज है एवं प्रदर्श – 12 व 13 वादी द्वारा अन्य भूमि के
सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के विरूद्ध प्रस्तुत वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी
निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि है एवं प्रदर्श – 14 प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा प्रस्तुत
जवाब प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिनके आधार पर वादी को
वाद पत्र के मद नम्बर 2 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकोर्ड में प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों
द्वारा दर्ज करवाये गये इन्द्राज की जानकारी हुई। वादी की उक्त दस्तावेजी एवं मौखिक
साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादीगण की ओर से कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं
की गयी है जिससे वादी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य को गलत मानने का कोई
कारण नहीं है तथा वादी ने अपनी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से वाद को साबित किया
है। जिससे वादी का उक्त वाद डिक्री किये जाने योग्य है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि गत खसरा नम्बर 316
रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 376 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2
कुल रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 879 रकबा 0.3300 हैक्टेयर,
खसरा नम्बर 884 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा
नम्बर 965 रकबा 4.2400 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.2400 हैक्टेयर भूमि ग्राम
रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू
जिला जयपुर में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा
राजस्व रिकोर्ड में इसी अनुसार दुरूस्ती की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का नाम उक्त
भूमि के राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाकर वादी का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज
किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस हेतु प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार जालसू
जयपुर को तहरीर जारी हो तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता
है कि वे वादी को वाद पत्र के मद नम्बर –2 में वर्णित वादी के 1/3 हिस्से व कब्जे की
भूमि से वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे। वादी को उक्त भूमि के उपयोग
उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट [illegible] नहीं करे करावे इसी अनुरूप
डिक्री पर्चा जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से कम की जाकर बाद
तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 05.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु० जयपुर
पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस.)

नियमित वाद संख्या – 88/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक –17.10.2024

रामनारायण पुत्र श्री चिमनाराम जाति यादव आयु 70 वर्ष निवासी ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान।

–वादी–

बनाम

1 मुकन्दाराम पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम
2 जयनारायण पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम
3 हरिकिशन पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम
4 सांवरमल पुत्र स्वर्गीय श्री कानाराम
5 मूली देवी पत्नी स्वर्गीय श्री कानाराम समस्त जातियान यादव निवासीयान ग्राम रायथल तहसील जालसू जिला जयपुर।
6 सुजा देवी पत्नी स्वर्गीय श्री गोपाल
7 प्रभू देवी पत्नी स्वर्गीय श्री हनुमान
8 विकास पुत्र स्वर्गीय श्री हनुमान
9 शिवाली पुत्री स्वर्गीय श्री हनुमान
10 उप पंजीयक रामपुरा डाबडी, तहसील जालसू जिला जयपुर।
11 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जालसू तहसील जालसू जिला जयपुर

– प्रतिवादीगण–

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अंतर्गत धारा– 88,89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 05.08.2025

वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि गत खसरा नम्बर 316 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 376 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 20 बीघा 14 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 879 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 884 रकबा 0.3300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 885 रकबा 0.3400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 965 रकबा 4.2400 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 5.2400 हैक्टेयर भूमि ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसू जिला जयपुर में वादी को 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रिकोर्ड में इसी अनुसार दुरूस्ती की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकोर्ड से हटाया जाकर वादी का नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। इसी तरह प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार जालसू जयपुर को तहरीर जारी हो तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादी को वाद पत्र के मद नम्बर –2 में वर्णित वादी के 1/3 हिस्से व कब्जे की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:47 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

भूमि से वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे। वादी को उक्त भूमि के उपयोग उपभोग करने में किसी प्रकार की बाधा व रूकावट उत्पन्न नहीं करे करावे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 05.08.2025 को जारी किया ।

दस्तखत ——
ओहदा ——

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

गुददई	रूपये	पैसे	गुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	4 रूपये		मुतफरित	4 रूपये	
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.08.29 14:16:47 IST
Reason: SelfAttested